न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्र0पत्र संख्या– 70/2020
प्र0पत्र प्रस्तुति दिनांक–02.09.2020
निर्णय दिनांक–24.12.2020

सोनू पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

आवेदक/प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार, पीपलू जिला टोंक (राज0) अप्रार्थी

प्रार्थना बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

अधिवक्ता प्रार्थीया– श्री राजेन्द्र सराधना
अधिवक्ता अप्रार्थी– तहसीलदार, पीपलू

निर्णय दिनांकः–24.12.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि आराजी ख0न0 536, 1333, 1688, 2176, 2190, 2192, 2194, 2198, 2199, 2268, 2373, 2374, 2459, 2463, 2541, 2597, 2603, 2610, 2619, 2623, 2803, 2806, 2827 कुल किता 23 कुल रकबा 105 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम झिराना पटवार हल्का झिराना, भू.अ.नि. झिराना, तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित हैं। उक्त वर्णित आराजीयात आवेदक व उसके परिवार के लोगों के नाम जरिये विरासत राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हुई है। उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया सोनू का नाम लिपिकीय त्रुटि से सोना दर्ज हो गया है। जिसकी दुरूस्ती के लिए श्रीमान् के समक्ष यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीया का परिवार राशनकार्ड, जॉब कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड में नाम सोनू दर्ज है। वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित भूमि में आवेदक का जो त्रुटिपूर्ण नाम सोना दर्ज है। उसके स्थान पर सोनू दर्ज किये जाने का आदेश किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त त्रुटी एक लिपिकीय त्रुटी है। जिसकों दुरूस्त करवाने की प्रार्थीया अधिकारी हैं। अतः जो लिपिकीय त्रुटी है। जिसकों दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीया का सही नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है। इस कारण आवश्यक एवं न्यायसंगत होने के कारण न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया हैं।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार, पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार, पीपलू से राजस्व रिकॉर्ड की वास्तविक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार, पीपलू ने राजस्व रिकॉर्ड की वास्तविक व तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया की मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम झिराना के खाता संख्या 633 संवत् 2072–75 में कुल किता 23 कुल रकबा 105–13 बीघा सीताराम पुत्र जगदीश, सुनीता, रेखा, सोना पुत्रीयों जगदीश सायर पत्नि स्व. जगदीश के हिस्सें अनुसार दर्ज रिकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी में विरासत का नामान्तकरण दर्ज उक्त खातेदारान् के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खाता संख्या 633 कुल किता 23 रकबा 105–13 बीघा में विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय संहवन से सोनू के स्थान पर

उप खण्ड अधिकारी (टोंक)

Scanned with CamScanner

सोना दर्ज कर दिया गया हैं जो मुताबिक संलग्न दस्तावेज माध्यमिक अंकतालिका, आधारकार्ड, के अनुसार सही नाम सोनू है एवं मुताबिक माध्यमिक अंकतालिका एंव आधारकार्ड के आधार पर खाता संख्या 633 में जो पूर्व में नाम सोना दर्ज किया हुआ है वह गलत है। जबकि उक्त दस्तावेज के आधार पर सही नाम सोनू होना चाहिए। अतः सही नाम सोना के स्थान पर सोनू दर्ज किया जाना उचित है।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि आराजी ख0न0 536, 1333, 1688, 2176, 2190, 2192, 2194, 2198, 2199, 2268, 2373, 2374, 2459, 2463, 2541, 2597, 2603, 2610, 2619, 2623, 2803, 2806, 2827 कुल किता 23 कुल रकबा 105 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम झिराना पटवार हल्का झिराना, भू.अ.नि. झिराना, तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित हैं। उक्त वर्णित आराजीयात आवेदक व उसके परिवार के लोगों के नाम जरिये विरासत राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हुई है। उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया सोनू का नाम लिपिकीय त्रुटि से सोना दर्ज हो गया है। जिसकी दुरूस्ती के लिए श्रीमान् के समक्ष यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीया का परिवार राशनकार्ड, जॉब कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड में नाम सोनू दर्ज है। वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित भूमि मे आवेदक का जो त्रुटिपूर्ण नाम सोना दर्ज है। उसके स्थान पर सोनू दर्ज किये जाने का आदेश किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त त्रुटी एक लिपिकीय त्रुटी है। जिसकों दुरूस्त करवाने की प्रार्थीया अधिकारी हैं। अतः जो लिपिकीय त्रुटी है। जिसकों दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीया का सही नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है। अप्रार्थी तहसीलदार, पीपलू ने अपनी बहस में बताया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम झिराना के खाता संख्या 633 संवत् 2072–75 में कुल किता 23 कुल रकबा 105–13 बीघा सीताराम पुत्र जगदीश, सुनीता, रेखा, सोना पुत्रीयॉ जगदीश सायर पत्नि स्व. जगदीश के हिस्सें अनुसार दर्ज रिकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी में विरासत का नामान्तकरण दर्ज उक्त खातेदारान् के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खाता संख्या 633 कुल किता 23 रकबा 105–13 बीघा में विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय संहवन से सोनू के स्थान पर सोना दर्ज कर दिया गया हैं जो मुताबिक संलग्न दस्तावेज माध्यमिक अंकतालिका, आधारकार्ड, के अनुसार सही नाम सोनू है एवं मुताबिक माध्यमिक अंकतालिका एंव आधारकार्ड के आधार पर खाता संख्या 633 में जो पूर्व में नाम सोना दर्ज किया हुआ है वह गलत है। जबकि उक्त दस्तावेज के आधार पर सही नाम सोनू होना चाहिए। अतः सही नाम सोना के स्थान पर सोनू दर्ज किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात् माध्यमिक अंकतालिका, आधारकार्ड, सीताराम पुत्र स्व. जगदीश जाति जाट के बयान एवं तहसीलदार, पीपलू से प्राप्त रिपोर्ट से स्पष्ठ हैं कि आवेदक/प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम सोनू पुत्री जगदीश है। अतः भूमि आराजी ख0न0 536, 1333, 1688, 2176, 2190, 2192, 2194, 2198, 2199, 2268, 2373, 2374, 2459, 2463, 2541, 2597, 2603, 2610, 2619, 2623, 2803, 2806, 2827 कुल किता 23 कुल रकबा 105 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम झिराना पटवार हल्का झिराना, भू.अ.नि. झिराना, तह0 पीपलू जिला टोंक के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया/आवेदक का नाम सोना पुत्री जगदीश के स्थान पर सोनू पुत्री जगदीश दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता हैं। निर्णय आज दिनांक 24.12.2020 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हों।

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू
जिला–टोंक
उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner